

कृषि निदेशालय, बिहार, पटना।

पत्र संख्या-9/उपा०कीट०अनु०-20/2015-
प्रेषक,

/कृ०, पटना, दिनांक दिसम्बर, 2015.

सेवा में,

बी० कार्तिकेय मा० प्र०से०
कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

श्री संतोष शेखर, क्षेत्रीय प्रबंधक,
मेसर्स टी० स्टैन्स एण्ड कम्पनी लि०,
द्वारा-हरनाथका कारपोरेशन,
306-A सुकृति कम्पलेक्स,
एस०पी० वर्मा रोड, पटना-1

विषय :- कीटनाशी बिक्री/भंडारण हेतु नया अनुज्ञप्ति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके आवेदन पत्र, कोषागार चालान एवं अन्य सुसंगत कागजातों तथा सहायक निदेशक, पौ० सं०, पटना से प्राप्त स्थल जाँच प्रतिवेदन के आधार पर कीटनाशी अधिनियम 1968 नियमावली 1971 एवं आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के तहत स्वनिर्मित कीटनाशियों का उनके विनिर्माण अनुज्ञप्ति एवं प्रिंसिपल सर्टिफिकेट की वैधता तिथि 31.12.2015 तक के लिए कीटनाशी बिक्री/भंडारण अनुज्ञप्ति प्रदान किया जाता है।

| क्र०सं० | कीटनाशी का नाम | क्र०सं० | कीटनाशी का नाम |
|---------|---|---------|---|
| 1 | Neem Oil based EC Containing Azadirachtin 0.03% w/w Min | 9 | Verticillium Lecanii 1.5% LF |
| 2 | Nimbecidine a neem seed kernel based EC (Triterpenoids) containing Azadirachtin 0.15% | 10 | Pseudomonas Fluorescens 1.75 WP |
| 3 | Neem Extract concentrate containing Azadirachtin 5% w/w min | 11 | Beauveria Bassiana 1.50%LF |
| 4 | Neem seed kernel based EC containing Azadirachtin 1% (10000 PPM) Min | 12 | Metarhizium Anisopliae 1.50 LF |
| 5 | Neem seed kernel based EC containing Azadirachtin 0.3% (3000 PPM) Min | 13 | Pseudomonas Fluorescens 1.5% Liquid Formulation |
| 6 | Verticillium Lecanii 1.15%WP | 14 | Ampelomyces Quisqualis 2.0% WP |
| 7 | Trichoderma Viride 1.15% WP | 15 | Metrahizium anisopliae 1.05% WP |
| 8 | Beauveria bassiana 1.15% WP | | |

2-उपरोक्त कीटनाशी का प्रतिष्ठान द्वारा भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, के विहित प्रावधानों के अधीन निम्नांकित भंडार स्थल पर किया जायेगा :- मेसर्स टी० स्टैन्स एण्ड कम्पनी लि०, द्वारा श्री विमल हरनाथका, H/O श्री नरेश गोप एवं अन्य, मुहल्ला-बड़ी पहाड़ी, थाना-अगमकुआँ, पटना।

3—यह आदेश दिया जाता है कि प्रदत्त कीटनाशियों की बिक्री/भंडारण कीटनाशी अधिनियम 1968, नियमावली 1971, आदेश 1986 में निहित प्रावधानों के अनुसार किया जाय।

4 अनुज्ञप्ति प्राप्त कीटनाशियों के अलावा अन्य कीटनाशी की बिक्री/भंडारण/विपणन एवं वितरण सर्वथा वर्जित होगा।

5—भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा निर्गत परिपत्रों का अनुपालन किया जाना आवश्यक होगा। अमानक कीटनाशी पाये जाने पर उक्त कीटनाशी की बिक्री/भंडारण तुरंत बंद कर देना होगा।

6—अपने प्रतिष्ठान का मासिक प्रतिवेदन नियमानुसार कृषि निदेशक/संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना तथा संबंधित जिला कृषि पदाधिकारी को ससमय भेजे।

7—नियम 10 बी0 के तहत सल्फर के लिए अलग से बिक्री पंजी का संधारण करना होगा तथा चोरी होने पर निकटतम पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करना होगा।

8—अमानक/मिलावटी/नकली कीटनाशी पाये जाने पर विनिर्माता, राज्य में उनके कन्साइनमेंट एजेन्ट/बिक्रय प्रतिनिधि एवं बिक्रेता के विरुद्ध कीटनाशी अधिनियम के विभिन्न धाराओं के तहत कार्रवाई की जाएगी।

9—कीटनाशी अनुज्ञप्ति सं० 149/दिनांक 17.12.2015 मूल रूप में संलग्न हैं। कृपया पावती की सूचना दी जाय।

विश्वासभाजन,

ह०/-

(बी० कार्तिकेय)

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।

ज्ञापांक 5941

/क०, पटना, दिनांक 7 दिसम्बर, 2015

प्रतिलिपि— (1) संयुक्त निदेशक (पौधा संरक्षण), बिहार, पटना/संयुक्त निदेशक (शष्प) उपादान, बिहार, पटना/सहायक निदेशक (सांख्यिकी) बिहार, पटना/जिला कृषि पदाधिकारी, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(2) आई० टी० मैनेजर, कृषि विभाग बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Ab
16/12

कृषि निदेशक, बिहार, पटना।